उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन विभाग

संख्या- 34 / 2017 / 844 /41-2017

लखनऊः दिनांक- 19 जून, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पर्यटन की ब्रांडिग के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने तथा ब्राण्ड अम्बेसडर इत्यादि का चयन करने हेतु मा0 पर्यटन मंत्री जी की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जाती हैः-

1.	मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0।	-	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव / महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।	-	सदस्य-संयोजक
3.	विशेष सचिव पर्यटन / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ।	-	सदस्य
4.	फिल्म / मीडिया / विज्ञापन जगत से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति।	-	सदस्य

2. उक्त समिति में फिल्म मीडिया / विज्ञापन जगत से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सदस्य नामित करने एवं उनकी संख्या का निर्धारण करने का अधिकार समिति के अध्यक्ष के रुप में मा0 पर्यटन मंत्री जी का होगा।

3. उक्त समिति में मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0 एवं मा0 चिकित्सा मंत्री, उ0प्र0 विशेष आमंत्री रहेंगे।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव

संख्या-34 / 2017 / 844(1) /41-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
3. निजी सचिव मा0 चिकित्सा मंत्री, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5. महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
6. विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
8. वेब अधिकारी, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in